भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4685

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941(शक)

संगठित और असंगठित क्षेत्र

4685. श्री पल्लब लोचन दास:

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठेका, बंधुआ, अस्थायी और बाल श्रमिकों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले संगठित और असंगठित क्षेत्र में लोगों की राज्य /संघराज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या और प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे आने वाले विशिष्ट रूप से असंगठित श्रम बल हेतु कोई विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार राज्य/ संघराज्य क्षेत्र-वार कितने लाभार्थी हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की ऐसी कोई योजना शुरू करने हेतु क्या कार्य योजना है;

(ग) सरकार द्वारा चिन्हित किए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) 'मेक इन इंडिया' बैनर के अंतर्गत कौन से श्रम सुधार आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल नियोजन 47 करोड़ था। इसमें से 8 करोड़ नियोजन संगठित क्षेत्र में था और शेष 39 करोड़ नियोजन असंगठित क्षेत्र में था। असंगठित क्षेत्र के कामगार देश के कुल नियोजन के 90% से अधिक नियोजन का निर्माण करते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नैमित्तिक एवं बंधुआ श्रमिकों के संबंध में सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती। तथापि, आदिनांक 313687 बंधुआ श्रमिकों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बचाया गया है। ठेका श्रमिकों एवं बाल श्रमिकों से संबंधित आंकड़े अनुबंध - I एवं II पर हैं।

जारी---2/-

(ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) बीपीएल तथा असंगठित कामगारों की 11 अन्य श्रेणियों अर्थात कल्याण बोर्डों में पंजीकृत भवन तथा अन्य सन्निर्माण कामगारों, लाइसेंस प्राप्त रेलवे कुलियों, फुटपाथ विक्रेताओं, मनरेगा कामगारों जिन्होंने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 15 दिन से ज्यादा कार्य किया हो, बीड़ी कामगारों, घरेलू कामगारों, साफ-सफाई कामगारों, खान कामगारों, रिक्शा खींचने वालों, कूड़ा बीनने वालों तथा ऑटो/टैक्सी चालकों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 30,000/- रुपये का स्वास्थ्य बीमा छत्र प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की गई थी। आरएसबीवाई असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अनुसूची I में सूचिबद्ध योजनाओं में से एक है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के प्रारंभ तक (अर्थात 23.09.2018) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के कुल लाभार्थियों की संख्या 2.75 करोड़ परिवार थी। 23.09.2018 को पीएमजेएवाई के प्रारंभ होने पर आरएसबीवाई को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है।

(ग): भारत सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु वर्ष 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) नामक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को काम से बचाया/छुड़ाया जाता है तथा एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) में नामांकित किया जाता है, जहाँ उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाए जाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख, आदि प्रदान की जाती है। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के निकट समन्वय के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है। बाल श्रम अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी प्रवर्तन तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक अलग ऑनलाईन पोर्टल पेंसिल (प्लेटफार्म फॉर इफेक्टीव इनफोर्समेंट फोर नो चाइल्ड लेबर) विकसित किया गया है। पेंसिल पोर्टल का एक घटक चाइल्ड ट्रेकिंग पद्धति है जो बचाए गए बच्चों के पुनर्वास का अनुवीक्षण करती है तथा उसे ट्रेक करने का कार्य करती है ताकि वे बाल श्रम के दुष्चक्र में न फसें। सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन अथवा कार्य पर पूर्ण प्रतिषेध; रोजगार के लिए प्रतिषिद्ध आयु को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ एवं सहबद्धता; जोखिमकारी व्यवसायों अथवा प्रक्रियाओं में (14 से 18 वर्ष के आयु समूह) के किशोरों के नियोजन पर निषेध और अधिनियम के उल्लंघन पर नियोजकों के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान भी शामिल है। इस संशोधन में अधिनियम के उल्लंघन पर नियोजकों के लिए कड़े दण्ड का भी प्रावधान है तथा बच्चों अथवा किशोरों के नियोजन के लिए अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन को अब संज्ञेय अपराध बनाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के 43.53 लाख मुख्य कामगार हैं।

(घ): मौजूदा केंद्रीय श्रम अधिनियमों का समामेलन, सरलीकरण तथा युक्तिकरण चार श्रम संहिताओं में करना प्रमुख श्रम सुधारों में शामिल हैं।

** ******

अनुबंध-I

दिनांक 22.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4685 के भाग (क) के उत्तर में -संदर्भित अनुबंध

2011 की जनगणना के अनुसार, 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के मुख्य कामगारों का राज्यवार विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	5-14 वर्ष के आयु वर्ग के लाख मुख्य कामगारों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	999
2.	आंध्र प्रदेश **	404851
3.	अरुणाचल प्रदेश	5766
4.	असम	99512
5.	बिहार	451590
6.	चंडीगढ़ सं.रा.क्षे.	3135
7.	छत्तीसगढ़	63884
8.	दादरा और नगर हवेली	1054
9.	दमन और दीव सं.रा.क्षे.	774
10.	दिल्ली सं.रा.क्षे.	26473
11.	गोवा	6920
12.	गुजरात	250318
13.	हरियाणा	53492
14.	हिमाचल प्रदेश	15001
15.	जम्मू और कश्मीर	25528
16.	झारखंड	90996
17.	कर्नाटक	249432
18.	केरल	21757
19.	लक्षद्वीप सं.रा.क्षे.	28
20.	मध्य प्रदेश	286310
21.	महाराष्ट्र	496916
22.	मणिपुर	11805
23.	मेघालय	18839
24.	मिजोरम	2793
25.	नागालैंड	11062
26.	ओडिशा	92087
27.	पुदुचेरी सं.रा.क्षे.	1421
28.	पंजाब	90353
29.	राजस्थान	252338
30.	सिक्किम	2704
31.	तमिलनाडु	151437
32.	त्रिपुरा	4998
33.	उत्तर प्रदेश	896301
34.	उत्तराखंड	28098
35.	पश्चिम बंगाल	234275
	कुल	4353247

** तेलंगाना सहित

अनुबंध-II

दिनांक 22.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4685 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

केंद्रीय क्षेत्र में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत शामिल ठेका कामगारों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल**
1	अहमदाबाद	48807
2	अजमेर	44629
3	आसनसोल	33932
4	बैंगलोर	47055
5	भुवनेश्वर	53945
6	चंडीगढ़	51518
7	चेन्नई	72795
8	कोचीन	19555
9	दिल्ली	40110
10	धनबाद	31961
11	देहरादून	17567
12	गुवाहाटी	23486
13	हैदराबाद	73909
14	जबलपुर	34011
15	कानपुर	46587
16	कोलकाता	36696
17	मुंबई	47731
18	नागपुर	21035
19	पटना	28238
20	रायपुर	46805
	कुल	**820372**

******